समक्ष राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प भोपाल

न्यायालय/श्रीमान ~~संभाग (राजस्व) आयुक्त महोदय, पुराना~~

~~सचिवालय~~,भोपाल म.प्र.

रेवेन्यु/अपील/कमांक– ..../15

निग – 374 – II – 16

श्रीमती माया बाई पत्नि रामभरोसे
आयु लगभग 50 वर्ष निवासी–ग्राम
सरदार नगर, तहसील बुधनी,
जिला सीहोर म.प्र. .... याचिकाकर्ता/रिवीजनकर्ता

(46)

विरूद्ध

AA ओ० पी० यादव अधि० द्वारा आज दि० 31/12/15 को प्रस्तुत

1. फद्दीलाल आत्मज स्व.श्री जीवनलाल
आयु वयस्क
2. श्रीराम आत्मज स्व.श्री जीवनलाल आयु वयस्क
3. श्रीमती सुमन बाई पुत्री स्व.श्री जीवनलाल
आयु वयस्क
4. हल्की बाई पत्नी स्व.श्री जीवनलाल आयु वयस्क
समस्त निवासीगण–ग्राम सरदार नगर,
तहसील बुधनी जिला सीहोर म.प्र. .... प्रतिप्राथीगण/अनावेदकगण

31/12/15
अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर
भोपाल संभाग, भोपाल

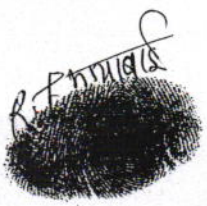

रिवीजन/याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959

याचिकाकर्ता/रिवीजनकर्ता माननीय अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी तहसील बुधनी जिला सीहोर के समक्ष विचाराधीन प्र.कं–36/अ/14–15 फद्दीलाल व अन्य विरुद्ध माया बाई में आदेश दिनांक 11/12/15 से दुखी तथा असंतुष्ट होकर निम्नलिखित कानूनी बिन्दुओं के आधार पर यह रिवीजन/याचिका प्रस्तुत करती हैः–

प्रकरण के तथ्य

प्रतिप्रार्थी कं–1 से लगायत 4 ने माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक अपील अंतर्गत धारा 44(1) म.प्र.भू.रा.संहिता के अंतर्गत प्रस्तुत की है जिसके साथ धारा 52 म.प्र.भू.रा.संहिता एवं धारा 5 अवधि वाह्रय अधिनियम का आवेदन पत्र शपथपत्र सहित प्रस्तुत करके यह निवेदन किया है कि प्रतिप्रार्थीगण के पिता/पति के नाम

निरंतर......2

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R. 374/11/16 जिला सीहोर

स्थान तथा दिनांक	माया कार्यवाही तथा आदेश फन्दीलाल	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9-3-16	यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी बुधनी के रा0प्र0क0 36/अ/14-15 में पारित आदेश दिनांक 11-12-15 के विरुद्ध प्रस्तुत करने का लेख किया गया है, जबकि यह निगरानी आदेश दिनांक 23-11-15 के विरुद्ध है दिनांक 23-11-15 को आदेश पारित कर धारा 5 का आवेदन स्वीकार कर प्रकरण को दिनांक 11-12-15 को तर्क हेतु नियत किया गया है। प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता श्री ओ0पी0 माथुर उप0। उनके द्वारा प्रकरण के संलग्न अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों के आधार पर ग्राहयता पर निर्णय लेने का निवेदन किया गया है। उक्त संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के आक्षेपित आदेश दिनांक 23-11-15 का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपने प्रश्नाधीन आदेश से ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है जिससे किसी भी पक्ष के हित वर्तमान में अनुचित रूप से प्रभावित हुए होने की कोई सम्भावना हो। अनु0 अधि0 द्वारा अपने आदेश से मात्र धारा 5 अवधि विधान का आवेदन स्वीकार कर प्रकरण को गुणदोष पर निराकरण हेतु तर्क के लिए नियत किया गया है। अनु0 अधि0 के इस आदेश से उभयपक्ष को अपना-2 पक्ष समर्थन करने का पर्याप्त अवसर S.D.O. के समक्ष उपलब्ध है, जहां पर वे उनके समक्ष अपना पक्ष समर्थन करें। ऐसी स्थिति में	

[कृ. प. उ.

३

R. 374/11/16 सीहोर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
भाया	फन्दूलाल	
	अनुविभागीय अधिकारी का आक्षेपित आदेश दिनांक 23-11-15 हस्तक्षेप योग्य न होने से स्थिर रखा जाता है तथा अनु० अधि० को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रकरण में उभयपक्ष को पक्ष समर्थन का अवसर प्रदान करते हुए गुण दोष के आधार पर विधिसंगत आदेश पारित करें। उपरोक्त निर्देश के साथ यह निगरानी प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। आदेश की प्रति अधी० न्याया० को भेजी जावे। प्र०दा०रि० हो। (सदस्य)	

शाक्षेमुग्वा—321—फॉर्म्स—21-9-2012—10,000.